

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 157/2019

1. गोपी लाल पुत्र देवी जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऊँकारपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♣ बनाम ♣

1. गौरी पत्नी भैरु जाति गुर्जर
2. रंगलाल पुत्र भैरु जाति गुर्जर
3. रामनिवास पुत्र भैरु जाति गुर्जर
4. शंभोजी पुत्र भैरु जाति गुर्जर
5. सेराज पुत्र भैरु जाति गुर्जर
6. हरिनिवास पुत्र भैरु जाति गुर्जर
7. हंसराज पुत्र भैरु जाति गुर्जर
8. हीरा पत्नी भैरु जाति गुर्जर
9. रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति कालवेलिया  
समस्त निवासीगण ऊँकारपुरा तहसील सावर जिला अजमेर राज.
10. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री मगन लाल लोधा

पैराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 12.3.2022

प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम ऊँकारपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में दर्ज अकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
42-46	118	0.32	वा. 3
	120	0.13	चा. 2 जा. 2
	125	0.23	चा. दोयम
	126	0.08	वीड
	127	0.24	चाही दोयम
	482	0.03	वारानी 1
	483	0.10	वारानी 1
	484	0.04	वारानी 1
	487	0.45	पेटा तालाब 1
	490	0.21	चाही दोयम
	493	0.40	चा. 2 जा. 2
	494	0.04	वारानी 3
	496	0.09	वारानी 3
	498	0.30	वारानी 3
	499	0.12	चाही दोयम
	500	0.20	चाही दोयम
	501	0.24	चाही दोयम
	502	0.07	चाही दोयम
	503	0.31	चाही दोयम
	505	0.28	चाही 2
505/955	0.21	वारानी दोयम	



राजस्व  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत सेवा  
तालुका विधिक सेवा समिति  
केकडी (अजमेर)

	506		
	507	0.11	वाराणी दोगम
	508	0.02	वाराणी दोगम
कुल योग	24	0.21	वाराणी दोगम
		4.43 है	

उक्त आराजीयात प्रार्थी को खातेदारी एंव कच्चे काश्त की आराजीयात है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी स. 2074-77 में उक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम वतीर खातेदार काश्तकार अंकन हो रखा है। उक्त आराजीयात मौके पर ही स्थान पर स्थित है। मौके पर प्रार्थी उक्त आराजीयात पर भौतिक रूप में काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात के पडोसी है और अपार्थीगण ने प्रार्थी की आराजीयात के मध्य रथाई सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व अपार्थीगण के मध्य आराजीयात को काश्त करने को लेकर आये दिन लडाई डगडा होता रहता है अपार्थी संख्या 10 को अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः उक्त आराजीयात के रकबा 4.43 है की रथाई पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित व न्यायहित में अति आवश्यक हो गया जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी स. 10 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये, उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण स. 1-9 की ओर से कार्ड उपस्थित नहीं हुये। परोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अकित किया है कि संलग्न जमाबन्दी प्रतिलिपी अनुसार प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी खातेदारी भूमि है। प्रकरण में कोई पत्थरगढी आदेश किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की वहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भूरा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम ऊँकारपुरा तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या नया पुराना 42-46 कुल कित्ता 24 कुल रकबा 4.43 है. की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिक्न अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2022 राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।



सदस्य  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
(तालुका विधिक सेवा समिति)  
केकड़ी (अजमेर)



न्यायिक अधिकारी  
लोक अदालत बैंच  
तालुका विधिक सेवा समिति  
केकड़ी जिला-अजमेर